श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1736

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)

बीओसीडब्ल्यू उपकर अधिनियम के अंतर्गत निधि

1736. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत सरकार द्वारा बिहार सहित राज्य-वार कुल कितनी धनराशि एकत्र की गई है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विशेषकर बिहार और सीमांचल क्षेत्र में निर्माण कर्मकारों के कल्याण हेतु इन निधियों का कितने प्रतिशत उपयोग किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा दुर्घटना राहत, निःशक्तता लाभों और कौशल विकास कार्यक्रमों सहित निर्माण कर्मकारों के कल्याण हेतु इन निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या बीओसीडब्ल्यू निधि के अंतर्गत उपलब्ध योजनाओं के बारे में कामगारों के बीच जागरूकता बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ड़): उपकर संबंधित राज्य बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किया जाता है। इससे संबंधित अद्यतन आंकड़े भी संबंधित बोर्डों द्वारा रखे जाते हैं।

राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डों का गठन भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के उपबंधों के तहत कार्य करने के लिए किया जाता है। बोर्ड को अपने उद्देश्यों और इस अधिनियम द्वारा अधिकृत उद्देश्यों के लिए व्यय वहन करने का अधिकार है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भवन और अन्य सन्निर्माण कामगारों के लिए एक 'मॉडल कल्याण योजना' 2018 को भी तैयार किया है और इसके सख्त अनुपालन के लिए जागरूकता कार्यक्रम सहित बोर्ड के लिए कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उपकर निधि के उपयोग के लिए मॉडल कल्याण योजना का एक अनुपूरक भी जारी किया गया है।

जारी2/-...

उक्त अधिनियम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों को समय-समय पर निदेश जारी किए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन, उपकर निधियों का ईष्टम उपयोग शामिल है। उक्त अधिनियम के तहत जारी निदेशों, विशेषकर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई कल्याण योजना के लिए उपकर निधि के उपयोग के संदर्भ में, कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक निगरानी समिति गठित की गई है।

****